उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाया जाना और उन पर दी जाने वाली राज सहायता

1219. **श्री वीरेन जे. शाह :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया था और यह अनुमान लगाया गया था कि उर्वरकों पर दी जाने वाली सरकारी राज सहायता के कारण पड़ने वाले वित्तीय भार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम किया जा सकेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को देखते हुए उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता की धनराशि में कमी किए जाने की संभावना नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरकों पर कुल कितनी धनराशि की राज सहायता दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह धनराशि पिछले वर्ष की धनराशि से अधिक है; और

(ङ) क्या सरकार वर्तमान आकलन को ध्यान में रखते हुए एक नई उर्वरक नीति बनाने का विचार रखती है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ) उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों को दिनांक 25-8-1992 से मूल्य एवं संचालन नियंत्रण से हटा दिया गया था । तथापि अधिकांशत: प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य 10% तक कम कर दिया गया था ।

चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर किए जाने वाले राज सहायता दायित्व अनुमानत: 5177 करोड़ रुपए है। यह 1991-92 में किए गए लगभग 6200 करोड़ रुपए के दायित्वों के अनुरूप है । तथापि, पिछले वर्ष पर्याप्त बजट आबंटन के अभाव में 1400 करोड़ रुपए का एक दायित्व पिछले वर्ष से चालू वर्ष में लगाया गया है। इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान निधि की कुल आवश्यकता 6577 करोड़ रुपए है । 1992-93 के लिए बजट प्रावधान 5500 करोड़ रुपए है । चालू वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ।

Reduction in liabilities for recovery of overcharge amounts

1220. SHRI RAJNI RANJAN SAHU :
SHRI H. HANUMANTHAPPA :
SHRIMATI SATYA BAHIN :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in March, 1990 a decision was taken to fix the responsibility of all those who reduced Rs. 500 crores liabilities to Rs. 60 crores;

(b) if so, when and what are the details thereof;

(c) what is the stage at which the matter in respect to fixation of responsibility stands at present;

(d) whether Government have taken any action thereon;

(e) if so, the details thereof;

(f) whether it is also a fact that certain officers have been transferred or have retired; and

(g) if so, the names of such Officers and what action can be taken against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (g) On receipt of complaints alleging irregularities in the computation made by the Special Team, it was decided in 1989 to review all their recommendations and the events thereafter. Accordingly, revised tentative calculations have since been made in a number of cases and communicated to the concerned companies. For the remaining, the revised calculations will be made soon after receipt of complete